11—07—2023

वाद पुकारा गया। अभियुक्त ऐबरन कुमार गंगवार जिला कारागार अल्मोड़ा में निरूद्ध है। पुलिस बल की कमी के दृष्टिगत अभियुक्त को आज जिला कारागार अल्मोड़ा से वीडियों कान्फेंसिंग के माध्यम से उपस्थित कराया गया। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक सिंह नेगी उपस्थित हैं। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री पूरन सिंह कैड़ा व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री शेखर चन्द्र नैल्वाल उपस्थित हैं। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षी संख्या—16 के रूप में पीड़िता एन की माता की मुख्य परीक्षा अंकित की गई।

75ख प्रार्थना—पत्र बचाव पक्ष की ओर से साथी अधिवक्ता के पति का कार दुर्घटना में निधन होने से वरिष्ठ अधिवक्ता घटना स्थल जाने के कारण मामले में साक्षी से प्रतिपरीक्षा हेतु एक अन्य तिथि चाहने बावत पेश।

सुना। उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है। गवाह से जिरह अग्रिम तिथि के लिए स्थगित की गई।

पत्रावली दिनांक 19—07—2023 को प्रतिपरीक्षा अभियोजन साक्षी संख्या—16/शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश की जाये। अभियोजन साक्षियों को नियत तिथि के लिए समन जारी हो।

(कौशल किशोर शुक्ला)
विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा।